**राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्**
**भारत सरकार**

**प्रेस विज्ञप्ति**
**दिनांक 10 जनवरी, 2011**

1. दिनांक 10 जनवरी, 2011 को 2 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की आठवीं बैठक की अध्यक्षता की।

2. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में प्रो0 एम.एस.स्वामीनाथन, संसद सदस्य, प्रो0 नरेन्द्र जाधव, डॉ. जीन ड्रेजे, सुश्री अरुणा रॉय, श्री माधव गाडगिल, सुश्री अनु आगा, श्री एन. सी. सक्सेना, डॉ.ए.के. शिव कुमार, सुश्री फराह नक़वी और सुश्री मीरई चटर्जी शामिल थे।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे की तैयारी की दिशा में पहले कदम के रूप में कार्य-समूह द्वारा एक नोट प्रस्तुत किया गया। यह नोट राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा अपनी दिनांक 23 अक्तूबर, 2010 की बैठक में की गई पूर्व सिफारिशों पर आधारित था। विचार-विमर्श के बाद परिषद् ने यह सुझाव दिया कि इस नोट में और अधिक विश्लेषणात्मक सामग्री शामिल की जाए।

4. (i) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने *कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा संबंधी विधेयक, 2010* को कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना की। हालांकि सदस्यों ने महसूस किया कि घरेलू कामगारों को विधेयक के दायरे से बाहर रखने से वे ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे और उन्हें उत्पीड़न से सुरक्षा नहीं मिल सकेगी। अधिकांश घरेलू कामगार गरीब, अशिक्षित और अकुशल होते हैं तथा कमज़ोर समुदायों और पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें बहुत कम मेहनताना दिया जाता है और उनके साथ दुर्वव्यहार किया जाता है क्योंकि घरेलू कार्य को कमतर आंका जाता है और यह किसी नियम कानून से बंधा भी नहीं होता है। चूंकि घरेलू कामगारों के कार्य-स्थल निजी घरों तक ही सीमित होते हैं, इसलिए उनके, विशेषकर जो परिवारों के साथ ही रहते हैं, के यौन उत्पीड़न और शोषण का शिकार होने की अधिक संभावना रहती है और इस संबंध में शिकायत करने अथवा उपचारात्मक उपायों तक इनकी पहुंच भी नहीं होती।

4(ii) इसके अलावा, बदले की कार्रवाई के डर, जिसके कारण महिलाएं कार्य-स्थल पर यौन शोषण के खिलाफ सुरक्षा चाहने के लिए आगे नहीं आ पाती हैं, को देखते हुए इस विधेयक में उन्हें दिए गए सुरक्षोपाय, इसके खण्ड 14 (*भ्रामक अथवा द्वेषपूर्ण शिकायत और भ्रामक प्रमाण*) को शामिल करने से कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि यह पीड़ितों को प्रस्तावित कानून की सुरक्षा लेने से रोकता है। इस विधेयक के साथ-साथ अन्य मौजूदा कानूनों के कई उपबंधों के तहत आंतरिक शिकायत समितियां अथवा स्थानीय समितियां भ्रामक और द्वेषपूर्ण अभियोजन और मानहानि के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करती हैं।

4(iii) इसलिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने सिफारिश की कि (i) प्रस्तावित कानून की सुरक्षा में घरेलू कामगारों को भी शामिल किया जाए, और (ii) प्रस्तावित कानून से खण्ड 14 को हटाया जाए। इसके अलावा,

जिला अधिकारी के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने यह भी सिफारिश की कि (iii) प्रस्तावित कानून में *स्थानीय शिकायत समिति* के गठन और कार्यों में जिला अधिकारी के लिए प्रस्तावित कानून में स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाएं(उन परिस्थितियों अथवा लघु संस्थाओं के लिए जहां आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं की जा सकती है)।

4(iv) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने अपने सदस्यों का एक कार्य-समूह बनाने का भी निर्णय लिया ताकि घरेलू कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समेकित और ठोस दृष्टिकोण तैयार किया जा सके।

5. (i) जनजाति विकास पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कार्य-समूह के संयोजक श्री माधव गाडगिल ने वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। कार्य-समूह ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार विनियमन) नियमावली में संशोधन का सुझाव दिया है। प्रस्तावित संशोधन संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिए गए हैं।

5(ii) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने पाया कि 2006 में पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार विनियमन) अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून था जिसका उद्देश्य जनजातियों और अन्य वनवासियों के साथ लंबे समय से हो रहे उस अन्याय को समाप्त करना था जिसमें उन्हें उनके वन अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती थी। हालांकि, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कई समस्याएं सामने आई हैं।

5(iii) प्रस्तुतिकरण में शामिल मुद्दे थे- (क) व्यक्तिगत भूमि अधिकार, (ख) वन प्रबंधन, (ग) लघु वनोपज अधिकार और (घ) ग्राम सभा की भूमिका, विशेषकर विकास परियोजनाओं के लिए भूमि के इस्तेमाल के संदर्भ में तथा (ड.) निगरानी एवं शिकायतों का निस्तारण। संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

6. पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा शासन पर कार्य-समूह की संयोजक श्रीमती अरुणा रॉय ने सरकार द्वारा प्रस्तावित सूचना का अधिकार नियमों में संशोधन पर हुई कार्य-समूह की चर्चा के संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् को जानकारी दी। कार्य-समूह ने सूचना का अधिकार नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणियां दे दी हैं। कार्य-समूह के सुझाव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिए गए हैं। यह कार्य प्रगति पर है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने पर इसे और आगे बढ़ाया जाएगा।

7. इस बात पर आम सहमति थी कि समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत बच्चों को मिली पोषाहार की गारंटी खाद्य सुरक्षा पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। समेकित बाल विकास सेवाओं के डिलिवरी सिस्टम्स में सुधार लाने पर जोर दिया गया। डॉ.एन.सी.सक्सेना, सदस्य ने बाल कुपोषण और समेकित बाल विकास सेवाओं पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। विचार-विमर्श के बाद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने समेकित बाल विकास सेवाओं के सुधार पर कार्य-समूह गठित करने का निर्णय लिया।

8. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की आगामी बैठक 21 जनवरी, 2011 को निर्धारित की गई है।